



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से 2.8 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद ।
- ❖ गिरफ्तार अभियुक्त रिकू के विरुद्ध पूर्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं रेलवे अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज । वह पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं चोरी के मामलों में जेल जा चुका है ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 02.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों रिकू पुत्र सुरेश व सलमान पुत्र अमिया को कनवारा मोड़ कृषि विश्वविद्यालय के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 किलो 800 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है । पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया। अभियुक्त रिकू के विरुद्ध पूर्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं रेलवे अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं चोरी के मामलों में जेल जा चुका है ।

बरामदगी-

- 02 किलो 800 ग्राम अवैध सूखा गांजा ।
- 02 मोबाइल फोन
- 1520 रुपए

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रिकू पुत्र सुरेश निवासी मुचियाना मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. सलमान पुत्र अमिया निवासी मुरवा हुसैनपुर थाना गिरवां जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 383/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. चौकी प्रभारी कृषि विश्वविद्यालय श्री दीपक कुमार सैनी
2. चौकी प्रभारी संकट मोचन सुश्री आकांक्षा पटेल
3. हे0कां0 राघवेन्द्र सिंह
4. कां0 दीपक कुमार
5. कां0 जितेन्द्र सिंह
6. कां0 मोहित शिवहरे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिकू-

1. मु0अ0सं0 383/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 303(2)/ 317(2)/ 317(4) बीएनएस थाना जीआरपी बांदा ।
3. मु0अ0सं0 370/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0 403/2023 धारा 379/411 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
5. मु0अ0सं0 15/2022 धारा 41/411/414 भादावि थाना जीआरपी झांसी ।
6. मु0अ0सं0 05/2022 धारा 380/411 भादावि थाना जीआरपी बांदा ।
7. मु0अ0सं0 1162/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
8. मु0अ0सं0 966/2018 धारा 379/411 भादावि थाना जीआरपी झांसी ।
9. मु0अ0सं0 1340/2018 धारा 177/380/411 भादावि थाना जीआरपी झांसी ।
10. मु0अ0सं0 1347/2018 धारा 380 भादावि थाना जीआरपी झांसी ।
11. मु0अ0सं0 94/2008 धारा 145 रेलवे अधि0 थाना जीआरपी बांदा ।
12. मु0अ0सं0 52/2008 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बांदा ।
13. मु0अ0सं0 37/2007 धारा 379/411 भादावि थाना जीआरपी बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान उर्फ लाला -

1. मु0अ0सं0- 573/21 धारा 411/413 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 403/23 धारा 379/411 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
1. मु0अ0सं0 383/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 907/ 2017 धारा 401 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0 333/2023 धारा 380/411 भादावि थाना जीआरपी कानपुर ।
4. मु0अ0सं0 301/2023 धारा 380/411 भादावि थाना जीआरपी कानपुर ।
5. मु0अ0सं0 808/2017 धारा 401 भादावि थाना जीआरपी कानपुर ।
6. मु0अ0सं0 573/2021 धारा 411/413 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
7. मु0अ0सं0 403/23 धारा 379/411 भादावि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
8. मु0अ0सं0 196/2017 धारा 24/4 आयुध अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा ।